निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 108/22
दायरा दिनांक :– 07.11.2022
निर्णय दिनांक :– 31.07.2023

उनवान

तेजकरण नागर पुत्र श्री बह्मानन्द जाति धाकड़ निवासी ग्राम कलमण्डा तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां
2. हीरालाल पुत्र जगन्नाथ जाति गाडरी गर्जुर निवासी कलमण्डा तहसील व जिला बारां
3. मदनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति गाड़री गुर्जर निवासी कलमण्डा तहसील व जिला बारां
4. धनराज पुत्र जगन्नाथ जाति गाड़री गुर्जर निवासी कलमण्डा तहसील व जिला बारां
5. लाड़ बाई पुत्री जगन्नाथ जाति गाड़री गुर्जर निवासी कलमण्डा तहसील व जिला बारां
6. भूली बाई बैवा जगन्नाथ जाति गाड़री गुर्जर निवासी कलमण्डा तहसील व जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 31.07.2023

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन – प्रार्थी
2 श्री तुलसीराम सोमानी – अप्रार्थी 2 ता 6

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि ग्राम कलमण्डा तहसील बारां में खाता सं0 नया 264 पुराना 251 में ख0नं0 1235 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1551 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 1627 रकबा 1.20 है0, ख0नं0 1630 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1813 रकबा 0.14 है0 कुल 5 किता रकबा 1.81 है0 भूमि स्थित है, जिसे प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र में आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

विवादग्रस्त भूमि सम्वत 2067 से 2070 की जमाबंदी में पन्ना पुत्र भोलू जाति गडरिया गुर्जर के नाम खातेदार कृषक दर्ज थी, जो उसकी स्वअर्जित भूमि थी। पन्ना पुत्र भोलू गड़रिया गुर्जर के फौत होने पर मि0नं0 105 दिनांक 10.03.2015 को एक पत्रावली तहसील बारां में चली, जो वसीयत था। [illegible] दिनांक 07.04.2015 को तहसीलदार बारां ने किया, जिसमें बिरधी बाई ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, कि पन्नालाल ने जगन्नाथ को कभी गोद नहीं रखा था तथा [illegible] (बिरधी बाई) ने भी गोद नहीं रखा। पन्नालाल की मृत्यु दिनांक 05.11.2002 को हो गई, अभी तक मृतक पन्नालाल का फौती

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

इंतकाल नहीं खुला है। मृतक पन्नालाल की पत्नि बिरधी बाई जीवित है इस कारण मृतक पन्ना पुत्र भोलू गडरिया के स्थान पर बिरधी बाई पत्नि श्री पन्ना गडरिया के नाम पर इंतकाल तस्दीक किया जावें। तहसीलदार ने दिनांक 07.04.2015 को यह आदेश कर दिया था इस कारण विवादग्रस्त भूमि की मालिक व स्वामिनी बिरधी बाई पत्नि श्री पन्नालाल एकमात्र है, किन्तु अप्रार्थी क्रम 02 ता 06 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर राजस्व कागजात में 1/2 में अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा 1/2 में बिरधी बाई का नाम दर्ज हुआ।

अप्रार्थी क्रम 02 ता 06 ने बिरधी बाई पत्नि श्री पन्नालाल का नाम निरस्त कराने के लिए एक दावा माननीय न्यायालय में पेश किया,जो मुकदमा नं0 30/2017 पर दर्ज हुआ। उसमें एक प्रार्थना की बिरधी बाई का नाम खाते से निरस्त करवाया जावें व तहसीलदार बारां ने प्रकरण संख्या 105 दिनांक 10.03.2015 आदेश दिनांक 07.04.2015 से जो आदेश दिया है, उसको निरस्त किया जावें। बिरधी बाई पत्नी श्री पन्नालाल जाति गाड़री गुर्जर की मृत्यु दिनांक 30.04.2022 को अपनी उपरोक्त सभी विवादग्रस्त सम्पत्तियों का एक वसीयतनामा उपने पूर्ण होश हवाश में प्रार्थी के नाम तस्दीक करवाया, जो दो गवाहों से प्रमाणित करवाया एवं पब्लिक नोटेरी से अटेस्ट करवाया । इस वसीयतनामा के आधार पर बिरधी बाई ने प्रार्थी को अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया। यह वसीयतनामा बिरधी बाई का अन्तिम वसीयतनामा था, क्योंकि इस वसीयतनामें के बाद बिरधी बाई ने कोई वसीयत नहीं करवायी।

बिरधी बाई अकेली रहती थी, उसके पति की पूर्व में मृत्यु हो गई थी, उनके कोई संतान नहीं थी तथा बिरधी बाई ने या उसके पति ने अपने जीवनकाल में किसी को भी दत्तक पुत्र नहीं रखा था। जब उप जिला कलक्टर बारां में मुकदमा नं0 37/2017 चला, तब उसमें बिरधी बाई भी एक पक्षकार थी। बिरधी बाई द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा एवं भू प्रबंध अधिकारी के यहां की गई, जो जैरकार है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि का एकमात्र स्वामी व मालिक प्रार्थी है, क्योंकि प्रार्थी ने बिरधी बाई की अन्तिम समय में सेवा की थी तथा ही वादग्रस्त भूमियों को बिरधी बाई के जीवनकाल से आज दिन तक निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थी ने दिनांक 10.05.2022 को राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां को एक नोटिस कानूनी दिलवाया था कि वादग्रस्त भूमियों के बाबत बिरधी बाई ने उसके पक्ष में वसीयत की हुई है तथा बिरधी बाई की मृत्यु हो गई है। इस कारण इस भूमि पर उसे खातेदारी अधिकार दिये जावें, जिसकी मियाद दिनांक 10.07.2022 को समाप्त हो गई, किन्तु उन्होंने कोई सहायता नहीं पहुंचायी। न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां में जो मुकदमा 30/217 चल रहा था, उसको अप्रार्थी क्रम 02 ता 06 ने जो कि उसमें अप्रार्थीगण थे इस कारण बिरधी बाई के फौत होने के कारण उन्होंने वाद को दिनांक 22.07.2022 को खारिज करवा लिया।

राजस्व अपील अधिकारी एवं [illegible] अधिकारी के यहां जो अपील जैरकार थी, वह आज भी जैरकार है, उसमें आगामी तारीख [illegible] 07.12.2022 नियत है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमियों का वास्तविक [illegible] स्वामी प्रार्थी है, किन्तु अप्रार्थी क्रम 02 ता 06 द्वारा अपना वाद खारिज-करवा लेने से अब [illegible]र्थी के पास केवल मात्र एक विकल्प रह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

गया है कि वह अपने पक्ष में की गई वसीयत के आधाार पर विवादग्रस्त भूमि को अपने नाम खाते दर्ज करवाये। इसके लिये प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 01 को नोटिस दे दिया, किन्तु उन्होनें कोई सहायता नहीं पहुंचायी। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा है। अप्रार्थी कम 02 ता 06 राजस्व कागजात में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर समस्त भूमियों को जबरन काश्त करना चाहते है, जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं है, जबकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमियों पर काश्त कर रहा है व उसमें फसल सरसों बा रखी है।

प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है। दिनांक 10.08.2022 को अप्रार्थीगण जबरन विवादग्रस्त भूमि पर आ गये एवं कब्जा करने की धमकी दी, बमुश्किल प्रार्थी के समझाने पर वापस गये, लेकिन ऐलानिया धमकी दी कि आज नही तो कल हम समस्त भूमियों को काश्त करके रहेगें। अतऐव इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। कि अप्रार्थीगण या उनके प्रतिनिधि प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्टो अथवा हित प्रतिनिधियों से करावें तथा प्रार्थी को उसकी आराजी को शान्तिपूर्ण ढंग से काश्त करने देवें। अप्रार्थीगण अपने उदेश्य में कामयाब हो गये तथा प्रार्थी को भूमि से बेदख़ल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप से संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 02 ता 06 की और से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2071–74 खाता सं0 264, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2077, नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2071–74 खाता सं0264, फोटो प्रति ऑडरशीट मु0नं0 30/17 दावा दिनांक 15.03.2017 से 03.12.21 उनवान हीरालाल बनाम बिरधीबाई, नकल तनकीयात, नकल वाद पत्र बउनवान हीरालाल बनाम बिरधीबाई, नकल नोटिस 80 सीपीसी शपथ पत्र के साथ, नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2071–74 खाता सं0 264, नकल जवाब दावा नकल प्रा0प0 आदेश 22 नियम 4 व 5 सीपीसी, नकल मि0नं0 105/2015 न्याया0 तहसीलदार बारां, नकल वसीयतनामा, नकल राशन कार्ड, बिरधीबाई, फोटो प्रति आधार कार्ड बिरधीबाई, फोटो प्रति पहचान पत्र सत्यनारायण, आधार कार्ड रामकल्याण, नकल नामा0 ग्राम कलमण्डा, मृत्यु प्रमाण पत्र बिरधीबाई, मृत्यु प्रमाण पत्र पन्नालाल, नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2051–54, नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2055–58, नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2059–62, नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2067–70, नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2071–74, नकल प्रकरण सं0 11/17 बउनवान हीरालाल बनाम बिरधीबाई निर्णय दिनांक 22.10.2021, उत्तराधिकार एवं वसीयत पृष्ठ सं0 218,219 एफआईआर नम्बर 494/22 थाना कोतवाली बारां चार्ज शीट एवं तेजकरण के 161 के बयान, शोक सन्देश बिरधीबाई तहसीलदार बारां की पत्रावली सं0 300/22 की फोटो प्रति, तहसीलदार बारां की पत्रावली सं0 105 की फोटों प्रति, पटवारी का कब्जा रिपोर्ट दिनांक 26.02.2015 पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

वसीयतनामा का निर्णय 2015 में तहसीलदार द्वारा किया गया था। पन्नालाल की मृत्यु वर्ष 2022 में हो गई थी। वर्ष 2015 तक कोई इन्तकाल नहीं खुला था। इस न्यायालय में एक वाद और चला जो 37/17 है। बिरधी बाई ने हमारे पक्ष में वसीयत की थी। बिरधीबाई को पत्नी नहीं माना गोद नामें का स्टाम्प का भी उल्लेख किया क्या यह गोद नामा है तो इस गोद नामें के आधार पर किस प्रकार तहसीलदार ने नामान्तरण क्यों खोला, पन्नालाल की वसीयत वर्ष 1994 में की है। 2022 तक यह वसीयत कहां थी जिसके पास अन्तिम वसीयत है वो ही मान्य होगी व्यक्ति किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत की जा सकती है स्थगन प्रार्थना पत्र में हम यह चाहते है कि भूमि को बेचान रहन न करें। मांगीबाई के नाम इन्तकाल क्यों नहीं खुला 15 वर्ष तक। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामा० नहीं खुला है। बिरधीबाई की मृत्यु दिनांक 30.04.2022 को हो गई है तथा वह लाऔलाद फौत हुई है। बिरधीबाई ने अपने जीवन काल में दिनांक 04.03.2022 को अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति की एक वसीयत प्रार्थी तेजकरण के पक्ष में की थी। बिरधीबाई ने यह वसीयत अन्तिम वसीयत की थी इसके बाद कोई वसीयत उसके द्वारा नहीं की गई है। प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर भूमियों को जबरन काश्त करना चाहते है। जिनको कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। प्रार्थी द्वारा आरआरटी 2009(2) पेज नं0 1367, सीडीआर 2007(1) पेज नं0 631, आरबीजे(16) 2009 पेज नं0 312, आरआरटी 2009(2) पेज नं0 1117, सीडीआर 2007(1) पेज नं0 865 दृष्टान्त पेश किये।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि पन्नालाल की दो पत्नियां थी। मांगीबाई व बिरधीबाई। जगन्नाथ को पन्नालाल ने गोद रखा यह बिरधीबाई ने स्वीकार किया है। दूसरी पत्नि को गोद रखने का कोई अधिकार नहीं है। जब वसीयत लिखने वाले ही अवैध हो तो वसीयत ही अवैध होगी। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां ने तहसीलदार के निर्णय को रद्द किया है। माननीय न्यायालय में एक वाद 30/2017 विचाराधीन था जिसमें ये उपस्थित नहीं हुए। 300/22 तहसीलदार की पत्रावली में भूमि का वैध उत्तराधिकारी है जगन्नाथ पुत्र पन्नालाल। विवादित भूमि पर हमारा ही कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं नहीं रहा है। बिरधीबाई ने यह स्वीकार किया किवह नाते लाई गई पत्नि है नाते लाई पत्नि को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है। बिरधीबाई को क्या अधिकार है रहन बेचान व वसीयत करने का। इन्तकाल विलम्ब से इसलिए खुला कि तब तक कोई विवाद नहीं था। एफआरआई में बिरधीबाई ने बताया है कि हमने जमीन खरीदी थी यदि जमीन खरीदी है तो रजिस्ट्री कहां है। जमीन खरीदी थी तो उसको वसीयत करवाने की क्या आवश्यकता थी। इस भूमि से संबंधित एक वाद 37/17 अप्रार्थी गण द्वारा किया गया था बिरधीबाई का नाम हट जाने के कारण दावा खारिज करवा लिया था। प्रार्थी जाति के धाकड़ है जिसका बिरधीबाई से कोई संबंध नहीं था [illegible] कभी प्रार्थी तेजकरण के पास नहीं रही। दिनांक 04.03.22 को बिरधीबाई द्वारा प्रार्थी [illegible] में वसीयतनामा करवाना बताया गया है। जबकि स्थगन आदेश दिनांक 22.10.21 से अप्रार्थी गण के पक्ष में चल रहा है। प्रार्थी द्वारा किया गया प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2071–74 खाता सं0 264 में कुल खं0 नं0 5 किता रकबा 1.81 है0 अप्रार्थी कम 2 ता 6 के खातेदारी में दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2077 में बिरधीबाई का 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त होना दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2071–74 खाता सं0 264 में अप्रार्थीगण कम 2 ता 6 एवं बिरधीबाई का नाम दर्ज होना पाया जाता है। वसीयतनामा दिनांक 04.03.22 के अनुसार बिरधीबाई द्वारा ग्राम कलमण्डा की आराजी कुल किता 5 रकबा 1.81 है0 भूमि तेजकरण पुत्र बह्मानन्द जाति धाकड़ निवासी ग्राम कलमण्डा के नाम किया जाना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2051–54, 2055–58, 2059–62, 2067–70, 2071–74 में पन्ना पुत्र भोलू जाति गडरिया गुर्जर सा0देह दर्ज होना पाया जाता है। नकल नामा0 ग्राम कलमण्डा दिनांक 17.06.2016 के अनुसार अप्रार्थीगण एवं बिरधीबाई के नाम दर्ज किया जाना पाया जाता है। अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2071–74 के अनुसार अप्रार्थी कम 2 ता 6 का नाम हिस्सा 1/5–1/5 दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि वर्तमान में विवादित आराजी अप्रार्थी कम 2 ता 6 के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। बिरधीबाई द्वारा की गई वसीयत मृत्यु के 1 माह पहले की गई है। पन्नालाल की यह नाते लाई गई पत्नि थी। नाते की गई का वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 22.10.2021 हीरालाल बनाम बिरधीबाई में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया गया था। परन्तु बिरधीबाई द्वारा दिनांक 04.03.22 को प्रार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित करवाई गई है जो शून्य है। क्योंकि न्यायालय के आदेश के विरूद्ध वसीयत करवाई गई है। थाना कोतवाली बारां में दर्ज एफआईआर 494/2022 में बताया कि मेने बिरधीबाई पत्नी पन्नालाल गाड़री गुर्जर नि0 कलमण्डा से 4 माह पहले जमीन खरीदी थी इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी द्वारा 4 माह पहले जमीन खरीदी थी तो वसीयत फर्जी बनाई गई है। प्रार्थी द्वारा रजिस्ट्री पेश नहीं कि है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह सन्देहस्पद है। क्योंकि एक तरफ वसीयत बिरधीबाई द्वारा प्रार्थी के पक्ष में करवाई होना बताया गया और एफआईआर में प्रार्थी द्वारा जमीन बिरधीबाई से खरीदना बताया गया है। दोनो ही प्रकरणों में अलग अलग तथ्य है। जो एक गलत हो सकता है या दोनों गलत हो सकते है प्रार्थी के दो तथ्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खरीदी है या वसीयत करवाई है यदि भूमि खरीदी गई थी तो वसीयत क्यों करवाई गई। वसीयत की क्या आवश्यकता थी। खरीदने की रजिस्ट्री कहां है। दावें के साथ क्यों पेश नहीं की। प्रार्थी के पक्ष में वसीयत की गई तो एफआईआर में भूमि बिरधीबाई से खरीदना क्यों बताया गया है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी द्वारा न तो भूमि बिरधीबाई से खरीदी है और न ही प्रार्थी के पक्ष में वसीयत की गई है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं है। सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी को कोई अपार क्षति भी नहीं हो रही क्यों कि विवादित भूमि अप्रार्थी गण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

:–कियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी कम 2 ता 6 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है प्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। ग्राम कलमण्डा की आराजी ख0नं0 1235/0.05,1551/0.10, 1627/1.20, 1630/0.32, 1813/0.14 है0 कुल किता 5 रकबा 1.81 है0 भूमि में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner